

## हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 18 मार्च, 2026 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

### I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

### II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

### III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

### IV. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1996-1997 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1997-1998 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1998-1999 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1999-2000 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
5.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2000-2001 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
6.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
7.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2002-2003 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।



21.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016-2017 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
22.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
23.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
24.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
25.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
26.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
27.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
28.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
29.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/53/तीसरा संशोधन/2025, दिनांकित 29 अक्टूबर, 2025 मेज पर रखेंगे।
30.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/63/तीसरा संशोधन/2025, दिनांकित 29 अक्टूबर, 2025 मेज पर रखेंगे।
31.	एक मंत्री	हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संशाधन विभाग अधिसूचना संख्या 01/07/2023/2 सी.सी.आई., दिनांकित 12 फरवरी, 2026 मेज पर रखेंगे।
32.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या 2006/एच.ई.आर.सी/टैरिफ सेक्शन दिनांकित 17 नवम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।

V. ‘नेवा’ पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

1.	याचिका समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2025-2026 के लिए याचिका समिति की 14 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
----	---------------------------	---

2.	सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के चेयरपर्सन।	वर्ष 2025-2026 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 55 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
3.	जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2025-2026 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 13 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4.	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2025-2026 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 11 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए., थानेसर द्वारा दिनांक 3 जून, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन:	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए., थानेसर द्वारा श्री नरेंद्र शर्मा पति श्रीमती प्रवीन शर्मा, वार्ड न. 2, श्री सतीश मदान पति श्रीमती निशा मदान, वार्ड न. 7 तथा श्री सुरेश कुमार पति श्रीमती बखशीश कौर, वार्ड न. 14, नगर परिषद् थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र तथा श्री राजेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् थानेसर के विरुद्ध दिनांक 3 जून, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
---------------------------------	--

## VI. विधायी कार्य।

(i) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
--	-----------	--

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;

		यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:  
17 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,  
सचिव।